लापरवाही | पहली ही बारिश में बह गई 2.80 करोड़ की लागत से बनी सड़क, कटघरे में आरईएस और वन विभाग की कार्यप्रणाली

5 साल की गारंटी वाले निर्माण की खुली पोल

भुआ बिछिया,मवई। जनपद मुख्यालय मवई से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के नाम पर किए जा रहे निर्माण कार्यों में भारी लापरवाही और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। वन ग्राम सठिया को हर्राटोला से जोडने के लिए लगभग 2 करोड़ 80 लाख रुपये की लागत से बनाई जा रही 5.2 किलोमीटर लंबी डामरीकृत सड़क पहली ही बारिश का सामना नहीं कर सकी। निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही करोड़ों की यह सड़क जगह-जगह से उखडने और बहने लगी है। इस बदहाल निर्माण ने जहां एक ओर ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, वहीं दूसरी ओर वन विभाग की संदिग्ध चुप्पी ने भी कई आरोप-प्रत्यारोपों को जन्म दे दिया है।

जानकारी अनुसार ग्राम पंचायत पखवार के अंतर्गत आने वाले वन ग्राम सठिया के निवासी वर्षों से पक्की सड़क के अभाव में अत्यंत कठिन और संघर्षपूर्ण जीवन जी रहे थे। जब ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मंडला द्वारा इस डामरीकृत सड़क का निर्माण शुरू किया गया, तो ग्रामीणों ने इसे अपने गांव के विकास की नई सुबह माना था। उन्हें विश्वास था कि अब बारिश के दिनों में कीचड़ और जलभराव के कारण होने वाली आवागमन की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। लेकिन, ग्रामीणों की यह उम्मीद पहली ही बारिश में सड़क के डामर के साथ बह गई। सड़क कई जगहों से टूटकर धंस गई है, डामर किनारों से उखड़ गया है, पटरियां बह गई हैं और बीच सड़क पर गहरी दरारें उभर आई हैं। जबकि अभी भी कुछ पुल-पुलियों का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है।

कागजों तक सिमटी गारंटी

परियोजना के सूचना बोर्ड पर स्पष्ट रूप से अंकित है कि इस सड़क के निर्माण के साथ 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक पूरे पांच वर्षों के रखरखाव की जिम्मेदारी भी ठेकेदार की ही होगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जिस सड़क का निर्माण कार्य अभी तक आधिकारिक रूप से पूर्ण भी नहीं हुआ है और जो महज कुछ महीनों में ही अपनी दुर्दशा बयां कर रही है, वह आने वाले पांच सालों तक कैसे टिकेगी?

3 मीटर की अनुमति, 6 मीटर पर कब्जा

इस पूरे मामले में वन विभाग की कार्यप्रणाली भी गहरे संदेह के घेरे में आ गई है। मिली जानकारी के अनुसार, वन विभाग द्वारा सड़क निर्माण के लिए केवल 3 से 4 मीटर चौड़ाई की अनुमति प्रदान की गई थी। लेकिन, जमीनी हकीकत यह है कि ठेकेदार ने लगभग 6 मीटर से भी अधिक चौड़ाई में पक्की सड़क और पटरी का निर्माण कर दिया।

आरईएस विभाग की तकनीकी निगरानी पर सवाल

सड़क की इस जर्जर स्थिति ने आरईएस विभाग की कार्यप्रणाली की पोल खोल कर रख दी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह पूरा निर्माण कार्य आरईएस विभाग के उपयंत्री, सहायक यंत्री तथा कार्यपालन यंत्री की कथित तकनीकी निगरानी में कराया जा रहा है। अधिकारियों की मौजूदगी के बावजूद गुणवत्ता का यह स्तर दर्शाता है कि या तो मौके पर कोई वास्तविक निरीक्षण नहीं किया गया, या फिर सब कुछ कागजों पर ही पूरा कर ठेकेदार को भुगतान की प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी गई।

तीन शिकारियों को एक-एक साल की सजा

कहीं अनुमति का अड़ंगा तो कहीं वन भूमि पर धड़ल्ले से चल रहीं मशीनें

भुआबिछिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भुआ बिछिया के न्यायालय ने वन्यजीव अपराध के एक अहम मामले में फैसला सुनाते हुए चीतल का शिकार करने वाले तीन आरोपियों को एक-एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को दोषी करार देते हुए यह फैसला दिया है।

जानकारी अनुसार 9 नवंबर 2017 को वन विभाग को मुखबिर से गुप्त सूचना मिली थी कि वन परिक्षेत्र खटिया बफर के अंतर्गत आने वाले ग्राम बटवार में एक चीतल का शिकार कर उसका मांस पकाकर खाया गया है। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए वन अधिकारियों की टीम ने संदेही लामूसिंह पिता फगनू सिंह, निवासी बटवार को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान लामूसिंह ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर क्लच वायर का फंदा बनाया था, जिसमें फंसाकर चीतल का शिकार किया गया और बाद में उसका मांस पकाकर खाया गया।

कार्रवाई के दौरान वन विभाग ने शिकार में शामिल अन्य आरोपियों को भी धर दबोचा। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मनोज उर्फ सुकल पिता लामूसिंह और संतोष पिता साधूसिंह शामिल थे। वन अमले ने आरोपियों के कब्जे से चीतल का चमड़ा, सींग, पूंछ का टुकड़ा, बाल, कुल्हाड़ी और शिकार में प्रयुक्त फंदा बरामद किया।

वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत हुई कार्रवाई

वन विभाग द्वारा इन सभी आरोपियों के खिलाफ वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत न्यायालय में परिवाद पत्र पेश किया गया था। विचारण के दौरान सामने आए साक्ष्यों तथा अभियोजन एवं बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद, न्यायिक दंडाधिकारी ने लामू, मनोज उर्फ सुकल और संतोष को चीतल के शिकार का पूर्ण रूप से दोषी माना और तीनों को 1-1 साल के कारावास से दंडित किया।

एक आरोपी फरार, फैसला सुरक्षित

इस मामले में शामिल एक अन्य आरोपी सुकदेव उर्फ गिरानी पिता कमल सिंह फिलहाल फरार चल रहा है। आरोपी के फरार होने के कारण न्यायालय ने सुकदेव के संबंध में अपना फैसला सुरक्षित रखा है। इस पूरे प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी कामेंद्र सिंह परस्ते ने सशक्त पैरवी की।

एक नजर में

चावल घोटाला और डबल मनी कांड की जांच से घबराई भाजपा?

नवभारत न्यूज बालाघाट। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष एवं विधायक संजय उईके ने चावल घोटाले और डबल मनी कांड की निष्पक्ष जांच के बीच पुलिस अधीक्षक के संभावित स्थानांतरण की चर्चाओं पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि जिले में यह चर्चा जोरों पर है कि जैसे-जैसे जांच निष्पक्ष और ईमानदारी से आगे बढ़ रही है तथा कथित रूप से सत्ताधारी दल से जुड़े नेताओं के नाम सामने आने की बातें हो रही हैं, वैसे-वैसे जांच को प्रभावित करने के प्रयास तेज हो गए हैं। यदि किसी अधिकारी का स्थानांतरण केवल इसलिए किया जाता है कि जांच की दिशा बदल जाए, तो यह न्याय व्यवस्था और कानून के शासन पर गंभीर प्रश्न खड़े करेगा। संजय उईके ने आरोप लगाया कि कुछ प्रभावशाली सत्ताधारी नेता भोपाल में डेरा डालकर न केवल जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि पुलिस अधीक्षक का तबादला करवाकर यह संदेश देना चाहते हैं कि सत्ता के खिलाफ कार्रवाई करने वालों का यही अंजाम होता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की स्पष्ट मांग है कि चावल घोटाले और डबल मनी कांड के सभी दोषियों पर निष्पक्ष जांच के आधार पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही, यदि कोई व्यक्ति या समूह जांच अथवा पुलिस कार्रवाई को प्रभावित करने का प्रयास करता है, तो उसके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाए। संजय उईके ने चेतावनी दी कि यदि निष्पक्ष जांच में बाधा डालने का प्रयास हुआ या दोषियों को बचाने की कोशिश की गई, तो कांग्रेस जनता के साथ सड़क पर उतरकर व्यापक लोकतांत्रिक आंदोलन करेगी।

शिक्षकों के एक दिवसीय प्रशिक्षण का किया गया आयोजन

नवभारत, परसवाड़ा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए मध्य प्रदेश के सभी 20 जनजातीय जिलों में जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से 21वीं सदी के जीवन कौशल के सफल क्रियान्वन हेतु नॉलेज पार्टनर के रूप में मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से सक्षम जीवन कौशल कार्यक्रम का सफल संचालन किया जा रहा है। कार्यक्रम के नियमित क्रियान्वयन के लिए बालाघाट जिले के बैहर विकासखंड के पीएम श्री कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैहर में शिक्षकों का एक दिवसीय प्रशिक्षण दो बैचों में दिनांक 24 जुलाई और 25 जुलाई 2026 को आयोजित किया गया। प्रशिक्षण प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनरों नरेश बघेल, लक्ष्मी ध्रुवे और लोकेश पटले के द्वारा प्रदान किया गया जिसमें प्रोग्राम मैनेजर सुधीर कुमार अग्रवाल के द्वारा सहयोग प्रदान किया गया।

नशे से तबाह होते परिवारों का दिखाया सच

नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत कटंगी में बनी शॉर्ट फिल्म

नवभारत कटंगी 25 जुलाई। मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा 15 से 30 जुलाई तक चलाए जा रहे विशेष अभियान 'नशे से दूरी है जरूरी' के अंतर्गत कटंगी पुलिस ने युवाओं को जागरूक करने के लिए एक अनूठी पहल की है।

एसडीओपी विवेक शर्मा एवं थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुशराम के मार्गदर्शन में थाना कटंगी के सहयोग से निर्देशक शिवम चुरहे द्वारा शॉर्ट फिल्म 'परिवार या नशा' का निर्माण किया गया है। इस फिल्म में स्थानीय युवा कलाकारों शंकर परते, रोहित राउत, मयूर बरमैया, मुस्कान तांबे, विकेश परते और भव्य बोथरा ने अपनी सशक्त अदाकारी से नशे के कारण टूटते परिवारों का मर्मस्पर्शी चित्रण किया है।

युवाओं से शॉर्ट फिल्म देखने की अपील

फिल्म के पोस्टर में नशा करते युवाओं, परेशान परिवार और टूटते रिश्तों को दिखाया गया है, जो सीधे समाज के दिल को छूता है। पुलिस प्रशासन और फिल्म टीम ने क्षेत्र के सभी नागरिकों, विशेषकर युवाओं से अपील की है कि वे इस शॉर्ट फिल्म को देखें और नशे के खिलाफ चल रही इस मुहिम में सहयोग करें। अधिकारियों का कहना है कि जागरूकता के माध्यम से ही नशे की लत को जड़ से खत्म किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना : जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

196 श्रद्धालुओं को लेकर मथुरा-वृंदावन के लिए रवाना हुई विशेष ट्रेन

नैनपुर, मंडला। मध्य प्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना' के अंतर्गत बालाघाट, मंडला, जबलपुर एवं कटनी जिले के वरिष्ठ नागरिकों के लिए मथुरा-वृंदावन तीर्थ यात्रा का आयोजन किया गया है। यह यात्रा 25 जुलाई से 28 जुलाई 2026 तक आयोजित की जा रही है।

शनिवार को निर्धारित समय दोपहर 1:00 बजे तीर्थ दर्शन ट्रेन बालाघाट जिले के यात्रियों को लेकर नैनपुर रेलवे स्टेशन पहुंची। यहाँ मंडला जिले के विभिन्न अंचलों से आए 196 तीर्थयात्रियों का जत्था ट्रेन में सवार हुआ। इसके पश्चात दोपहर 1:30 बजे ट्रेन जबलपुर होते हुए अपने गंतव्य स्थल मथुरा-वृंदावन के लिए रवाना हुई। इस पावन यात्रा में मंडला जिले के विभिन्न क्षेत्रों से उत्साहपूर्वक वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लिया, जिनकी कुल संख्या 196 है। जिसमें मंडला से 75 यात्री, बिछिया से 30 यात्री, नारायणगंज से 27 यात्री, घुघरी से 27 यात्री, निवास से 19 यात्री, नैनपुर से 18 यात्री शामिल हुए।

नैनपुर स्टेशन पर तीर्थयात्रियों के स्वागत एवं विदाई के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। नगर पालिका परिषद नैनपुर के पार्षद राजाराम शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी आशुतोष महादेव ठाकुर तथा तहसीलदार संगम पटले ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। राजस्व विभाग की ओर से राजस्व निरीक्षक शिव वर्कड़े, विजय गोठारिया, दिनेश ठाकुर, रंजीत गौतम, सत्येंद्र ठाकुर एवं आशीष वैष्णव ने सभी यात्रियों का तिलक लगाकर, कंठी माला पहनाकर और भोजन पैकेट वितरित कर आत्मीय स्वागत किया तथा सुखद यात्रा की कामना के साथ विदा किया। तीर्थयात्रियों ने मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना की सराहना करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि शासन की इस पहल से उन्हें वृद्धावस्था में सुलभ एवं सम्मानजनक तरीके से तीर्थ दर्शन का अवसर प्राप्त हो रहा है।

देवी तालाब मामले में अवमानना याचिका पर हुई सुनवाई

कलेक्टर बालाघाट समेत अन्य को नोटिस हुए जारी

नवभारत, बालाघाट। मध्यप्रदेश में एनजीटी के आदेशों के अवमानना के प्रकरण लगातार बढ़ रहे है। पहले भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर के कलेक्टरों के नाम एनजीटी के आदेशों की अवमानना के लिए प्रमुख रूप से लिए जा रहे थे। अब बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीणा का नाम भी इस सूचि में शामिल हो गया है। एनजीटी भोपाल के द्वारा बालाघाट शहर के हृदयतल में स्थित शासकीय देवी तालाब को अतिक्रमण और प्रदुषण मुक्त करने के लिए बालाघाट नगर के नागरिक द्वारका नाथ चौधरी और प्रदीप परांजपे की ओर से प्रस्तुत याचिका में दिनांक 27/04/2026 को अंतिम आदेश पारित किये गए थे। किन्तु कलेक्टर बालाघाट के द्वारा उक्त आदेश का पालन नहीं किया गया।

अवमानना की याचिका प्रस्तुत

एनजीटी भोपाल के द्वारा बालाघाट शहर के हृदयतल में स्थित शासकीय देवी तालाब को अतिक्रमण और प्रदुषण मुक्त करने के लिए दिनांक 27/04/2026 को पारित अंतिम आदेश का पालन नहीं किये जाने से व्यथित होकर याचिकाकर्ता द्वारका नाथ चौधरी और प्रदीप परांजपे की ओर से एनजीटी भोपाल में न्यायाधिकरण के आदेशों की अवमानना के कारण निष्पादन याचिका 13/2026 प्रस्तुत की गई थी द्य उक्त याचिका में दिनांक 24/07/2026 को सुनवाई करते हुए न्यायाधिकरण के प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब माँगा है।

इनके विरुद्ध प्रस्तुत याचिका

याचिकाकर्ता द्वारका नाथ चौधरी और प्रदीप परांजपे की ओर से एनजीटी भोपाल में न्यायाधिकरण के आदेशों की अवमानना के कारण प्रमुख सचिव वन मंत्रालय भोपाल, कलेक्टर बालाघाट, अनुविभागीय अधिकरी बालाघाट, मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद बालाघाट एवं संभागीय अधिकारी मध्यप्रदेश प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड जबलपुर के विरुद्ध निष्पादन याचिका प्रस्तुत की है। प्रतिवादियों / संबंधित ज़िला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया जाता है कि वे वेटलैंड नियम, 2017 की धारा 4 का कड़ाई से पालन करें और उसे लागू करें तथा यह सुनिश्चित करें कि प्रतिबंध क्षेत्रों के संबंध में उचित सीमांकन, बाड़बंदी, संकेत-पट्ट और चेतावनी-पट्ट उपयुक्त स्थानों पर लगाए जाएँ। नगरपालिका परिषद, बालाघाट को निर्देश दिया जाता है कि वह देवी तालाब की सफाई, ठोस और प्लास्टिक कचरा डालने से रोकने तथा खरपतवारों को वैज्ञानिक तरीके से हटाने के लिए एक समय-सीमाबद्ध योजना के तहत तत्काल कार्रवाई करे।

बांडारेव-कोसुंबा सड़क एक साल से अधूरी

गिट्टी-पत्थर में फंस रहे वाहन जल्द निर्माण पूरा करने की मांग

नवभारत कटंगी 25 जुलाई। विकासखंड कटंगी के बांडारेव से कोसुंबा मार्ग की हालत बद से बदतर है। इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुए 1 साल से अधिक समय हो गया है, लेकिन आज तक सड़क पूरी नहीं हो सकी।

सड़क पर सिर्फ गिट्टी-मुरुम डाली गई है। न डामरीकरण हुआ है और न ही समतलीकरण। बारिश के कारण जगह-जगह कीचड़ और बड़े-बड़े पत्थर निकल आए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस मार्ग से गुजरने वाले दोपहिया और चारपहिया वाहनों के बार-बार पंचर हो रहे हैं। मरीजों को अस्पताल ले जाने और स्कूल जाने वाले बच्चों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

निर्माण कार्य में लापरवाही का आरोप

स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार वाहन बीच रास्ते में फंस जाते हैं और उन्हें धक्का देकर निकालना पड़ता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य में लापरवाही और सुस्ती के कारण आमजन को परेशानी झेलनी पड़ रही है।

बरसात में यहां से निकलना मुश्किल

ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी विभाग और प्रशासन से मांग की है कि सड़क निर्माण कार्य में तेजी लाकर इसे जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए, ताकि क्षेत्र के लोगों को राहत मिल सके। बरसात में यहां से निकलना मुश्किल है। बुजुर्ग और बीमार लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। ठेकेदार और विभाग ध्यान नहीं दे रहे।

रेस्क्यू किये गये तेंदुए की उपचार के दौरान मौत

मंडला। कान्हा टाइगर रिजर्व में शनिवार को एक तेंदुए की उपचार के दौरान मौत हो गई। इस तेंदुए को एक दिन पहले सिझोरा बफर परिक्षेत्र के खटोला गांव से रेस्क्यू किया गया था। घायल अवस्था में मिले इस तेंदुए का मुक्की क्वारंटाइन सेंटर में इलाज चल रहा था।

शुक्रवार को यह तेंदुआ जंगल से भटककर खटोला गांव के एक मकान में घुस गया था। उस समय घर में एक महिला अकेली थी, जो तेंदुए को देखते ही सुरक्षित बाहर निकल आई और ग्रामीणों को सूचना दी। इसके बाद वन विभाग और कान्हा टाइगर रिजर्व की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची।

करीब दो घंटे चले रेस्क्यू अभियान के बाद विशेषज्ञों ने तेंदुए को सुरक्षित ट्रैक्यूलाइज कर बाहर निकाला। उसे तत्काल उपचार के लिए मुक्की क्वॉरेंटाइन सेंटर भेजा गया था। प्रारंभिक जांच में तेंदुए के चेहरे और सिर पर गंभीर चोटें पाई गई थीं। शनिवार सुबह उपचार के दौरान तेंदुए ने दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही कान्हा टाइगर रिजर्व के वरिष्ठ अधिकारी मुक्की पहुंचे। वन्यजीव चिकित्सकों की मौजूदगी में तेंदुए का पोस्टमार्टम हुआ। पार्क प्रबंधन के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चोटों की वास्तविक प्रकृति और मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा। तेंदुए के कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस की जांच के लिए भी सैंपल भेजे जाएंगे।

दीनी पुल के पास पलटी पिकअप, 25 दिन बाद घायल महिला ने तोड़ा दम

हादसे में 18 महिलाएं हुई थीं घायल

नवभारत, खैरलाँजी। रामपायली थाना क्षेत्र के ग्राम दीनी के पास 12 जुलाई को महिलाओं से भरी पिकअप वाहन पलटने की दर्दनाक घटना में घायल एक महिला की 25 दिन बाद उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतिका की पहचान ग्राम डोंगरमाली निवासी सविता लिल्हारे (35) के रूप में हुई है। उनका इलाज नागपुर के अस्पताल में चल रहा था, जहां 25 जुलाई की सुबह करीब 4:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली।

जानकारी के अनुसार, 12 जुलाई की सुबह ग्राम डोंगरमाली और बिटोड़ी की करीब 18 महिलाएं धान का रोपा (पराह) लगाने के लिए पिकअप वाहन से नेवरगांव धड़ी जा रही थीं। इसी दौरान ग्राम दीनी के समीप वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से उतरकर खेत में पलट गया। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और स्थानीय लोगों ने राहत कार्य शुरू कर सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया।

हादसे में सविता लिल्हारे गंभीर रूप से घायल हुई थीं। जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें गोंदिया के एक निजी अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनकी सर्जरी की गई। हालत में सुधार नहीं होने पर उन्हें नागपुर के एम्स अस्पताल भेजा गया, जहां चार दिनों तक इलाज चलने के बाद उनकी मृत्यु हो गई।

नागपुर में कराया पोस्टमार्टम

बताया जा रहा है कि सविता लिल्हारे का पोस्टमार्टम नागपुर में ही कराया जाएगा। इस दुर्घटना में कुल 18 महिलाएं घायल हुई थीं, जिनमें कुछ का इलाज जिला अस्पताल तथा कुछ का निजी अस्पतालों में कराया गया था। मामले की जांच रामपायली थाना पुलिस द्वारा की जा रही है।

अभियान | प्रस्फुटन शक्ति संचय समितियों की बैठक आयोजित

स्वैच्छिकता पर्व : पौधरोपण कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

नवभारत कटंगी 25 जुलाई। मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के तत्वावधान में संचालित प्रस्फुटन शक्ति संचय अभियान के अंतर्गत विकासखंड कटंगी की ग्राम विकास प्रस्फुटन समितियों की मासिक बैठक सामुदायिक भवन तिरोड़ी में आयोजित की गई।

बैठक में जल गंगा संवर्धन अभियान, स्वैच्छिकता पर्व तथा विगत माह में संचालित सामाजिक एवं जनकल्याणकारी गतिविधियों की समीक्षा की गई। विभिन्न प्रस्फुटन समितियों के पदाधिकारियों ने अपने-अपने ग्रामों में सेवा, सहयोग, स्वावलंबन एवं जनभागीदारी की भावना से किए गए कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए स्थानीय स्तर पर समाजहित में किए गए प्रयासों की जानकारी साझा की।

सामाजिक चेतना को सशक्त बनाने की पहल- इस अवसर पर जिला समन्वयक महेश पटले ने स्वैच्छिकता पर्व के अंतर्गत संचालित 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, नशामुक्ति एवं जनजागरूकता कार्यक्रमों पर विस्तार से प्रकाश डाला। वर्षा ऋतु में अधिकाधिक पौधरोपण, स्वच्छता अभियान एवं समाजहित में कार्यरत स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं का सम्मान जैसे कार्यक्रम सामाजिक चेतना को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हैं।

12 अगस्त मनाया जाएगा स्वैच्छिकता पर्व- विकासखंड समन्वयक सुरेंद्र कुमार भगत ने बताया कि परिषद द्वारा 4 जुलाई से 12 अगस्त तक मनाया जा रहा स्वैच्छिकता पर्व समाज में सेवा, सहयोग, स्वावलंबन और जनभागीदारी की संस्कृति को सुदृढ़ करने का अभियान है। उन्होंने कहा कि प्रस्फुटन समितियां ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण इकाई हैं और उन्हें जनकल्याण, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता तथा नशामुक्ति जैसे अभियानों में निरंतर सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

नशे पर प्रहार के लिए मैदान में उतरे स्कूली बच्चे

नशा मुक्ति अभियान के तहत निकाली रैली, खेलों के जरिए दिया संदेश

भुआबिछिया /घुघरी। मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत शनिवार को घुघरी पुलिस ने एक सराहनीय पहल की। क्षेत्र में नशे के खिलाफ जन-जागरूकता लाने के उद्देश्य से स्कूली छात्र-छात्राओं के साथ मिलकर एक भव्य जागरूकता रैली और विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ एक विशाल जन-जागरूकता रैली के साथ हुआ। रैली में शामिल विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने पूरे नगर का भ्रमण कर लोगों से नशे से दूर रहने और एक स्वस्थ व सुरक्षित समाज के निर्माण में अपना योगदान देने की अपील की। इस अभियान में कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल, मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल, संदीपनी विद्यालय, नर्मदा ज्ञान स्थली, एकलव्य विद्यालय, क्राइस्ट ज्योति विद्यालय, दानीटोला स्कूल, नेझर हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र-छात्राओं ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। रैली के समापन के बाद बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से खो-खो, कबड्डी, पिट्ठू, एथलेटिक्स और वॉलीबॉल जैसी खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट खेल भावना का परिचय देते हुए शानदार प्रदर्शन किया।